जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जीविवि/परीक्षा–2/गोप./2015/505 **दिनांक : 09.07.2015**

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त संबंद्ध महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः महाविद्यालय द्वारा समय पर विश्वविद्यालय को जानकारी प्रेषित करने हेतु निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको निर्देशित किया जाता है कि,

1. नियमानुसार महाविद्यालय से सी.सी.ई. के अंक परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त होना चाहिये लेकिन कुछ महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व अंक नहीं भेजने से छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित होने में विलम्ब होता है।

2. कुछ महाविद्यालय के छात्र सी.सी.ई./प्रायौगिक परीक्षा के स्वयं के अंक लेकर सीधे विश्वविद्यालय आते हैं जब विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से सी.सी.ई. /प्रायौगिक के अंकों की पूर्व में भेजी गई सूची से मिलान किया जाता तो उसमें उसका नाम नहीं होता है या अनुपस्थित दर्शाया जाता है ऐसी स्थिति में छात्र तो परेशान होता ही है तथा इससे विश्वविद्यालय को नियमानुसार कार्य करने में काफी कठिनाई आती है। इस संबंध में अनुरोध है कि महाविद्यालय द्वारा सभी छात्रों के अंक एक साथ भेजे जावें बाद में सी.सी.ई./प्रायौगिक के अंक यदि महाविद्यालय द्वारा भेजे जाते है तो वह किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।

3. वर्तमान में यह भी देखने में आ रहा है कि कई छात्र वर्ष 2010, 2011, 12, 13, 14, के सी.सी.ई./प्रायौगिक परीक्षा के अंक लेकर एक–एक कर आ रहे है यहाँ यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है इतने विलम्ब से यह अंक महाविद्यालय द्वारा किस आधार पर भेजे जा रहे है। इस प्रकार के महाविद्यालय द्वारा भेजे गये अंक किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होंगे।

4. वर्तमान में यह भी देखने में आ रहा है कि संबंधित परीक्षा केन्द्रों से केन्द्राध्यक्षों की ओर से जो भी उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल प्राप्त होते हैं उन्हें गंभीरता से नहीं बांधा जाता है अर्थात् किसी विषय की उत्तरपुस्तिका किसी विषय के बण्डल में बन्द कर विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाती है जिससे छात्रों के परीक्षा परिणाम रूक जाने से विश्वविद्यालय को अंक निकालने में काफी कठिनाई होती है तथा छात्र भी परेशान होते रहते हैं।

5. कई महाविद्यालयों द्वारा समय पर छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र मय शुल्क के अपडेट कर विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि में नहीं भेजे जाते हैं जिससे छात्रों के परीक्षा परिणाम रूके रहते है एवं परीक्षा परिणाम में कई प्रकार की त्रुटियां आती हैं। ऐसे छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने में विश्वविद्यालय को काफी कठिनाई का सामना करना होता है।

.....2

6. कई महाविद्यालय द्वारा सी.सी.ई./प्रायौगिक के अंक को पर्ण/विपर्ण में न चढ़ाकर महाविद्यालय के लेटर हैड पर भेजे जाते हैं जो त्रुटि पूर्ण हैं उसमें प्रायौगिक परीक्षक आंतरिक/बाह्य परीक्षक के हस्ताक्षर न होकर प्राचार्य के हस्ताक्षर होते है जो नियमानुसार मान्य नहीं हो सकते हैं।

7. वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों के जो भी आवेदन – पत्र अग्रेषित किये जाते है उसके लिये उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है लेकिन कुछ महाविद्यालयों द्वारा संबंधित छात्रों के आवेदन–पत्रों में पूर्व की कक्षाओं की उत्तीर्ण होने के अंकों का रिकार्ड अपडेट नहीं किया जाता है अतः महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध है कि परीक्षार्थी के प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक के अंक वि.वि. द्वारा जारी वैद्य उत्तीर्ण की अंकसूची से जाँच कर अग्रेषित कर परीक्षा आवेदन – पत्र के साथ संलग्न करें जिससे परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम रूके नहीं रहें।

यदि उपरोक्त निर्देशों का निर्धारित समय सीमा में पालन नहीं होता है और छात्रों के परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो उसके लिये महाविद्यालय जिम्मेवार होगा।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. उप–कुलसचिव (परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. उप–कुलसचिव (गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

उप–कुलसचिव(गोपनीय)